

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

पत्रांक 2240/आ0वा0 पटना-15, दिनांक 6-8-04
प्र06-क्र0आ0-

प्रेषक,

श्री के0एम0शर्मा,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:- डबल गैस सिलिण्डर धारकों को किरासन तेल आपूर्ति बंद करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि गिण्टों में आपूर्ति संबंधी सरकारी निर्गत निदेशों का सही ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया था कि डबल गैस सिलिण्डर धारकों का सर्वेक्षण कराकर एक सूची तैयार की जाय तथा तदनुसार उन्हें चिन्हित कर उन्हें किरासन तेल आपूर्ति बंद किया जाय। इसके फलस्वरूप शेष बचे किरासन तेल को कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों के बीच वितरण कराया जाय। यह भी निदेश दिया गया था कि किरासन तेल की मिलावट को विलोपित करने हेतु पेट्रोलियम पदार्थों के नमूने की नियमानुसार जांच सहित अन्य आवश्यक कदम उठाये जाय तथा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अतः आग्रह है कि उक्त निदेश के आलोक में शीघ्र प्रतिवेदन भेजी जाय, ताकि वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराया जा सके।

वि श वा स भा न,
सरकार के उप-सचिव।

आपांक 2240/आ0वा0 पटना-15, दिनांक 6-8-04

प्रतिलिपि:- माननीय राज्य मंत्री, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग,
बिहार, पटना के आप्त सचिव को उनके आपांक-301, दिनांक-30-6-04 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप-सचिव।

25/8